संख्याः 28/2019/579/छप्पन-2019-14/89

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2019

विषयः जनपद सुल्तानपुर स्थित अमहट राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 682/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 09 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सुल्तानपुर स्थित अमहट राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 360.64 लाख (रुपया तीन करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद सुल्तानपुर स्थित अमहट राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य को कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन रू0 795.19 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त परियोजना की लागत रू0 721.28 लाख ऑकलित की गई। शासनादेश संख्या-53/2018/589/छप्पन-2018-14/89 दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा रू0 721.28 लाख (रूपए सात करोड़ इक्कीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 360.64 लाख (रूपए तीन करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित की गई उक्त धनराशि रू0 721.28 लाख में से अवमुक्त की गई धनराशि को घटाने के पश्चात् धनराशि रू0 360.64 लाख (रूपए तीन करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार मात्र) अवमुक्त किए जाने हेतु अवशेष है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल जनपद सुल्तानपुर स्थित अमहट राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य कराए जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 360.64 लाख (रूपए तीन करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(11)(घ) एवं प्रस्तर-2(11)(छ) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिकउड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासनादेश संख्या- 53/2018/589/छप्पन-2018-14/89 दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा कराए गए कार्यों की भौतिक प्रगति एंव गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाए।

(3) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 53/2018/589/छप्पन-2018-14/89 दिनांक 17 मई, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या: 28/2019/579(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
(5) प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in